

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र संख्या:- 51/2024

1. लालीबाई पति उंकार जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू
2. बाबूलाल पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू
3. राधेश्याम पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू
4. बंशीलाल पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू
5. किर्तन पिता शांतिलाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू
6. सुमित्रा पत्नि शांतिलाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता कजोड जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू
2. संजय कुमार पिता देवीलाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 52/2024

1. देवीलाल पिता कजोड जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू
2. संजय कुमार पिता देवीलाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू

प्रार्थीगण

बनाम

1. किर्तनकुमार पिता शांतिलाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू
2. बाबूलाल पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू
3. राधेश्याम पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू
4. बंशीलाल पिता उंकार जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 वेगू

विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री इफ्तेखार अजमेरी

अधिवक्ता प्रार्थीगण प्र.सं.51/24

श्री कैलाश चन्द्र मंत्री

अधिवक्ता विपक्षीगण प्र.सं.52/24

आदेश दिनांक :-28.03.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अजमेरी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके अनवान श्रीमति लालीबाई बनाम देवीलाल होकर प्रार्थना पत्र संख्या 51/2024 दर्ज किये गये। तथा एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके अनवान देवीलाल बनाम किर्तन कुमार वगैरे होकर प्रार्थना पत्र संख्या 52/24 दर्ज किये गये। दोनो ही प्रार्थना पत्र एक ही आराजी व एक ही अनवान के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दोनो ही प्रार्थना पत्र को समेकित किए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया जिससे दोनो ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र संख्या 51/2024 इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा श्रीनगर प.ह. दुकराई की आराजी संख्या 10801/1117 रकबा 0.1860 हैक्टर लगानी 0.45 रूपये जो प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण के परिवार का पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा मुखालफाना निरंतर चला आ रहा है।

यह कि दूसरी तरफ आराजी संख्या 1849/1117 है जो प्रार्थीगण के परिवार की निजी खातेदारी की भूमि है तीनो आराजी संख्या 1116, 1849/1117 व 1801/1117 एक ही लाईन में स्थित है जो एक साथ पत्थर कोट बनी हुई है और इन तीनो आराजी को प्रार्थीगण के परिवारजन अपने कृषि कार्य के लिये उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है इन तीनो आराजीयात पर किसी अन्य व्यक्ति का उजर दखल नहीं है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1116 के बाद आराजी संख्या 1081/1117 स्थित है एवं इसके पश्चात आराजी संख्या 1849/1117 स्थित है। आराजी संख्या

श्री इफ्तेखार अजमेरी
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौडगढ़ जिला

1801/1117 आराजी संख्या 1116 और आराजी संख्या 1849/1117 के बीच स्थित है जिस पर प्रार्थीगण के परिवार की पत्थरो की कोट बनी हुई है और एक लोहे की फाटक लगी हुई इन तीनों आराजीयात का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण का परिवार मवेशीयो को बांधने और कृषि उपज कृषि उपकरण आदि रखने और कृषि कार्य करने के लिये 50 वर्ष से अधिक समय से करते आ रहे है। आराजी संख्या 1849/1117 व आराजी संख्या 1801/1117 पर पूर्व में प्रार्थी संख्या 1 के पति व 2 से 4 के पिता उंकार जी अपने कृषि कार्य के लिए करते आये है और सिकी अन्य व्यक्ति का उजर दखल नहीं है।

यह कि आराजी संख्या 1801/1117 पर देवीलाल पिता कजोड जी धाकड निवासी श्रीनगर का कभी कब्जा नहीं रहा है लेकिन फिर भी विपक्षी संख्या एक देवीलाल धाकड ने नुमाईशी रूप से विपक्षी संख्या 2 संजय कुमार धाकड की भूमि का विक्रय कर दिया है और संजय कुमार धाकड व विपक्षी संख्या एक देवीलाल धाकड उक्त आराजी पर विधि विरुद्ध तरीका अपनाकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने पर आमदा है और प्रार्थीगण की कब्जे की भूमि पर दीवार हटाकर कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। जबकि आराजी संख्या 1801/1117 रकबा 0.1865 हैक्टर पर 50 वर्ष से अधिक समय से निरंतर निर्बाध रूप से प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है इस कारण प्रार्थीगण उक्त भूमि को अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है।

यह कि प्रार्थीगण की उक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1801/1117 रकबा 0.1865 हैक्टर भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी कि इस जमीन पर अब हम कब्जा करके रहेगे और हमे कोई नहीं रोक सकता है। इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण की कब्जेशुदा आराजी संख्या 1801/1117 पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की आराजी का स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगे और प्रार्थीगण को अपने 50 वर्षों से अधिक समय की कब्जे काश्त की भूमि से वंचित होना पड जायेगा जिसेस, प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति हो जोयगी जिसका मूल्यांकन किया जाना भी संभव नहीं है इसके विपरीत विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने से उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक मौजा ग्राम श्रीनगर प.ह. टुकराई तहसील बेगू में प्रार्थीगण के 50 वर्षों से अधिक समय के कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1801/1117 रकबा 0.1865 हैक्टर भूमि में विपक्षीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने परिवार के सदस्य नौकर एजेन्ट रिश्तेदार आदिसे करे करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से मूल दावा पत्रावली में अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण का वाद पत्र मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। विगत 50 वर्षों से आराजी संख्या 1801/1117 का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आराजी संख्या 1117 के मूल खातेदार घीसालाल देवीलाल पिता कजोड थे एवं घीसालाल के वारिसान जगदीश प्रेमबाई दौलीबाई एवं विपक्षी संख्या 1 देवीलाल के मध्य हुए विभाजन से अस्तित्व आया है। प्रार्थी संख्या 1 ने मूल आराजी संख्या 1117 मे से जगदीश प्रेमबाई पिता घीसालाल एवं दौलीबाई पत्नी घीसालाल से दिनांक 30.5.2019 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से आराजी संख्या 1117मी मे से रकबा 0.1130 हैक्टर भूमि कीमतन खरीद की जो नामान्तरण संख्या 1297 से उसके नाम दर्ज रेकार्ड हुई है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। आराजी संख्या 1116 बिलानाम सरकारी भूमि है एवं आराजी संख्या 1801/1117 विपक्षी सं० 1 व 2 के खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, प्रार्थीगण ने आराजी संख्या 1117 मे से रकबा 0.1130 हैक्टर भूमि खरीद की है जो आराजी संख्या 1849/1117 के रूप में प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। जहाँ तक पत्थज़र कोट का प्रश्न है तो कई कई आराजी के

च में पत्थर कोट नहीं होने से वह भूमियां किसी एक की नहीं हो जाती हैं। प्रार्थीगण का खरीदसुदा आराजी संख्या 1849/1117 के अलावा किसी भूमि पर कब्जा काशत न था न है एवं न ही कानूनन हो सकता है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। जब प्रार्थीगण ने आराजी संख्या 1117 मे से रकबा 0.1130 हैक्टर भूमि ही वर्ष 2019 मे खरीद की है तो 50 वर्षों से कब्जा काशत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण मात्र विपक्षीगण संख्या 1 की आराजी संख्या 1801/1117 खरीदना चाहते थे जो विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दी जिससे विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है। कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। सम्पूर्ण आराजी संख्या 1117 पर विपक्षी संख्या 1 व उसका भाई घीसालाल उक्त भूमि का खातेदार काशतकार था इस भूमि से प्रार्थीगण का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है जो जरिये विभाजन पृथक पृथक हुए।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलमसंख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है। आराजी संख्या 1801/1117 विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी कब्जे काशत की है जिसमें का हिस्सा 7/9 विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 को कीमतन विक्रय कर कब्जा सौपा हैं। कलम संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की आराजी पर कभी कब्जा काशत प्रार्थीगण का नहीं रहा है एवं न ही वे खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी हैं। कलम संख्या 8 गलत होकर अस्वीकार है। जब आराजी संख्या 1801/1117 से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो धमकी दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं।

प्रार्थना पत्र कलम संख्या 9 गलत होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण का जब आराजी संख्या 1801/1117 से कोई सम्बन्ध ही नहीं है मात्र विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है तो उन्हें किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। कलम संख्या 10 गलत होकर अस्वीकार है।

अतः प्रार्थना है किप्रार्थना पत्र प्रार्थीगण वेग एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 52/2024 व अनवान श्रीमती देवीलाल बनाम किर्तन कुमार वगै प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 का अधिवक्ता श्री मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया वह इस प्रकार से है कि :-

प्रार्थीगण द्वारा उक्त अनवान एक वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में वारते स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वादपत्र के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काशत0अधि0क' तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्रामा श्रीनगर पटवार हल्का दुकराई तहसील बेगू में प्रार्थीगण के स्वामित्व की होकर आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी संख्या 1801/1117 रकबा 0.1865 हैक्टर भूमि अंकित सिधत है।

यह कि उक्त कलम संख 2 में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की तन्हा स्वामित्व आधिपत्य की होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में चली आ रही है, जिसमें प्रार्थीगण के परिवार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का हक दखल नहीं है। उक्त भूमि सम्पूर्ण रकबा 0.1865 हैक्टर भूमि प्रार्थी कमांक 1 के खातेदारी में थी जिसमें से 7/9 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 ने हाल ही मे प्रार्थी सं0 2 को कीमतन विक्रय कर विक्रयपत्र पंजीयन करवाया है जिससे प्रार्थी संख्या 2 सहखातेदार बना है।

यह कि विपक्षीगण, प्रार्थीगण की उक्त भूमि को पडोसी होने से खरीदना चाहते थे एवं प्रार्थी सं0 1 ने उक्त हिस्सा भूमि को प्रार्थी सं0 2 को विक्रय कर दी जिससे विपक्षीगण ने प्रतिशोध लेने की नियत से एवं मन में बदनियति आ जाने से वे प्रार्थीगण की जमीन को छीनना चाहते है आये दिन प्रार्थीगण से विवाद करते है प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काशत में दखलंदाजी का प्रयास कर परेशान करते रहते है एवं लडाई झगडा करते रहते है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि विपक्षीगण ने दिनांक 30.8.2024 को प्रार्थीगण को धमकी दी कि तुम्हारी भूमि पर हम कब्जा कर लेंगे अगर मौके पर आये तो जान से खत्म कर देंगे। यह कि विपक्षीगण का प्रार्थीगण की जमीन में कोई हक दखल नहीं होते हुए अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण को परेशान कर रहे है एवं प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे उपयोग उपभोग एवं कब्जे में बाधा पहुंचाने पर आमदा है जिससे

जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक हो गया है अन्यथा प्रार्थीगण विधिक अधिकार खतरे में पड जायेंगे व प्रार्थीगण को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी विपक्षीगण का कोई स्वामित्व आधिपत्य नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमा विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक के लिए पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की कलम सं० 2 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि में प्रार्थीगण के चले आ रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे में किसी तरह की दखलंदाजी नही करे न अपने किसी नौकर एजेन्ट रिश्तेदार आदि करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर विपक्षीगण की ओर से मूल वाद पत्र में अधिवक्ता श्री अजमेरी ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है, लेकिन यहाँ उल्लेख किया जाना उचित है इस प्रार्थना पत्र पर एक तरफा वहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुनी जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 26.9.2024 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि ग्राम श्रीनगर प.ह. टुकराई की उक्त वर्णित कृषि आराजी संख्या 1801/1117 रकबा 0.1865 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के चले आ रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे में किसी तरह की दखलंदाजी नही करें न अपने सिकी ना कर एजेन्ट रिश्तेदार आदिसे करावें। इस प्रार्थना पत्र के जबवाब में विपक्षीगण ने निवेदन इस प्रकार किया कि प्रार्थना की कलम संख्या एक अस्वीकार है। प्रार्थीगण का वादपत्र आधारहीन होने से खारीज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अस्वीकार है। आराजी संख्या 1801/1117 भूमि पर विपक्षीगण का लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। मौके पर विपक्षीगण के परिवार का गेट लगा हुआ है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी संख्या 1801/1117 पर विपक्षीगण के परिवार का उपयोग उपभोग होकर पिदले 50 वर्षों से विपक्षीगण के परिवार का कब्जा चला आ रहा है। आराजी संख्या 1116, 1801/1117, 1849/1117 एक ही लाईन में स्थित है। और विपक्षीगण का गेट लगा हुआ है आराजी संख्या 1116 पर विपक्षीगण के परिवार का नाजायज कब्जा चला आ रहा है और धारा 90 ए की कार्यवाही चल रही है और आराजी संख्या 1849/1117 विपक्षीगण के परिवार की निजी खातेदारी की भूमि है इन दोनो भूमियो के बीच आराजी संख्या 1801/1117 स्थित है जो विपक्षीगण के उपयोग उपभोग में है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 अस्वीकार विपक्षीगण का वाद वर्णित भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी ने मात्र नुमाईशी विक्रय किया है। क्यो कि मौके पर विपक्षीगण के परिवार का कब्जा है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 अस्वीकार है। दिनांक 30.8.2024 को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी गई है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 अस्वीकार है। मौके पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है। प्रार्थी ने मात्र नुमाईशी विक्रय किया है मौके पर विपक्षीगण के परिवार का उजर दखल है प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय में दोनो ही प्रार्थना पत्र का एक ही अनवान एवं एक ही विवादित आराजी होने से दोनो प्रकरणो को समेकित किये जाने का आदेश दिनांक 10.01.2025 को दिया गया।

हमारे समक्ष दोनो ही प्रार्थना पत्र समेकित होकर दोनो प्रार्थना पत्र में जबवाब प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 212 राज०काश्त०अधि० पर ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री अजमेरी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया कि मौजा श्रीनगर की आराजी संख्या 1801/1117, 1849/1117 व आराजी संख्या 1116 भूमि एक चक है तथा हमारे कब्जे में है, 91 से हमारे कब्जे में चली आ रही है। इन जमीनो से फसल व मवेशी बांधने आदि का कार्य में चली आ रही है। विपक्षी देवीलाल ने जो विक्रय किया वह नुमाईशी विक्रय किया है जबकि कब्जा हमारा ही भूमि पर चला आ रहा है। कब्जा हमारा है तथा सुविधा का संतुलन भी हमारे ही पक्ष में है। दिनांक 10.10.2024 को सीमाजानकारी की एप्लीकेशन भी प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण श्री मंत्री द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र संख्या 52/24 व जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार निवेदन करते हुए कहा कि हमारा प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होता है हम विवादित आराजी संख्या 1801/1117 के खातेदार है। जमावंदी संवत् 2071 से 74 का अवलोकन फरमावें। भूमि का मूल आराजी नम्बर 1117 था जो कि मूल खातेदार घीसालाल देवीलाल पिता कजोड थे एवं घीसालाल के वारिसान जगदीश प्रेमवाई दौलीवाई एवं विपक्षी संख्या 1 देवीलाल के मध्य हुए विभाजन से यह भूमि अस्वत्व में आयी है। प्रार्थी संख्या 1 ने मूल आराजी संख्या 1117 मे से जगदीश प्रेमवाई पिता घीसालाल एवं दौलीवाई पत्नी घीसालाल से दिनांक 30.5.2019 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्य से आराजी संख्या 1117 मी० मे से रकवा 0.1130 हैक्टर भूमि कीमतन खरीद की जो नामान्तरण संख्या 1297 से उसके नाम दर्ज रेकार्ड हुई है। विगत 50 वर्षों से कब्जा होने का कथन अपने आप में गलत है। खरीदशुदा भूमि जो वर्ष 2019 मे खरीद होकर प्रार्थीगण के नाम नामासं० 1297 खुला है जो दिनांक 7.7.19 को स्वीकृत हुआ है तो किस प्रकार भूमि पर इनका कब्जा 50 वर्ष से रहा है। वर्णित आराजी संख्या 1801/1117 के हम विपक्षीगण खातेदार है, वास्तविकता में प्रार्थीगण ने विपक्षी से इस भूमि को खरीदने का प्रयास किया जो इन्हें विक्रय नहीं किये जाने पर इनके द्वारा यह झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। नियमानुसार खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का खारीज फरमाया जाकर हम विपक्षीगण की ओरसे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 52/2024 को स्वीकार किया जाकर इन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनी गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रतिपादित तीन मुख्य बिन्दुओं पर निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- प्रथम दृष्टया मामला ::-

प्रार्थना पत्र संख्या 51/2024 व अनवान लालीबाई बनाम देवीलाल वगै में प्रार्थीगण विपक्षीगण को मौजा श्रीनगर की आराजी संख्या 1801/1117 रकवा 0.1865 हैक्टर भूमि के लिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है। जबकि उक्त वर्णित आराजी 1801/1117 रकवा 0.1865 हैक्टर भूमि के खातेदार प्रार्थीगण नही होकर भूमि के खातेदारी देवीलाल पुत्र कजोड हिस्सा 2/9 जाति धाकड एवं संजय कुमार पुत्र देवीलाल हिस्सा 7/9 जाति धाकड के नाम पर दर्ज रिकोर्ड है। प्रार्थीया लालीबाई पत्नि उंकारलाल के खाते की भूमि 1120 मी. आराजी संख्या 1849/1117 कीता-2 रकवा 0.3600 हैक्टर भूमि खाते में दर्ज है। तथा आराजी संख्या 1116 जो कि बिलानाम सरकार भूमि है। इस प्रकार यह तथ्य सामने आता है कि प्रार्थीगण द्वारा सरकारी बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है तथा विपक्षीगण के खाते की भूमि को भी प्रतिकूल कब्जा करते हुए इस भूमि को भी अपने खाते में दर्ज करवाना चाहते है, जबकि विपक्षीगण की भूमि पर कब्जा होने का कथन 50 वर्षों से होने का प्रार्थीगण ने अंकित किया है जो कि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जबवा अनुसार सिद्ध नहीं होता है।

प्रार्थीया लालीबाई द्वारा आराजी संख्या 1849/1117 व आराजी संख्या 11120मी को खरीद की जिसका नामान्तरण संख्या 1297का अवलोकन किया उक्त खरीद वर्ष 2019 मे की गई है क्यो कि नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 7.7.2019 को स्वीकृत हुआ है, यानि प्रार्थीगण के खाते की भूमि ही जब वर्ष 2019 में उनके खाते में आई है तो विपक्षीगण के खाते की आराजी संख्या 1801/1117 पर 50 वर्ष से कब्जा होने का प्रश्न अपने आप में ही गलत साबित होता है। यह कथन विपक्षीगण का सही है कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1849/1117 के पडोस में ही विपक्षीगण की आराजी संख्या 1801/1117 स्थित होने से इस भूमि को भी खरीद का प्रयास प्रार्थीगण ने किया लेकिन भूमि उन्हें नहीं विक्रय किये जाने से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है क्यो कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में विपक्षीगण ने जो विक्रय किया होना नुमाईशी बताया है, जबकि हमारा विनम्र कथन है कि कोई भी पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने से पूर्व पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तरण में सम्बन्धित पटवारी खरीदशुदा भूमि के कब्जे की पुष्टि इत्यादि सभी जानकारी किये जाने के पश्चात ही नामान्तरण

सहायक अधिवक्ता
(उपखण्ड अधिकारी)
देगु (वि.सं.ज.प.)

कर प्रमाणित करवाते है। इस प्रकार मौजा श्रीनगर प.ह. टुकराई की आराजी संख्या 1801/1117 रकबा 0.1865 हैक्टर भूमि के खातेदार विपक्षीगण देवीलाल व संजयकुमार दर्ज है, नियमानुसार किसी खातेदार को उनके खातेदारी की भूमि के लिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना नियम विरुद्ध होता है जबकि कोई भी खातेदार अपने खाते की भूमि के लिए चाहे कब्जा खातेदार का ना भी हो तो भी वह किसी अन्य अजनवी व्यक्ति को अपने खाते की भूमि पर जबरन प्रवेश करने से रोकने के अधिकारी होते है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होता है। प्रकरण संख्या 51/2024 लालीबाई बनाम देवीलाल में प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं होकर प्रकरण संख्या 52/2024 व अनवान देवीलाल बनाम किर्तनकुमार वगै. का प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध होना पाया जाता है। जिससे प्रार्थना पत्र संख्या 52/2024 के विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु यह प्रथम दृष्टया मामल सिद्ध होता है।

2- सुविधा का संतुलन :-

प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी मौजा श्रीनगर प.ह. टुकराई आराजी संख्या 1801/1117 रकबा 0.1865 हैक्टर भूमि जो कि विपक्षीगण देवीलाल पुत्र कजोड एवं संजयकुमार पुत्र देवीलाल के खातेदारी की भूमि है पर प्रार्थीया लालीदेवी व अन्य का कब्जा होना सिद्ध नहीं हुआ है, जैसा कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर 50 वर्ष से अधिक का कब्जा होने का कथन किया है किन्तु प्रार्थीया के खातेदारी मे दर्ज भूमि आराजी संख्या 1849/1117 व 1120मी. भूमि को ही प्रार्थीया द्वारा वर्ष 2019 में खरीद किया गया है तो प्रश्नगत भूमि 1801/1117 पर 50 वर्ष से अधिक का कब्जा किस प्रकार किया जा सकता है। वैसे भी प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी संख्या 1801/1117 रकबा 0.1865 हैक्टर भूमि के खातेदार विपक्षीगण देवीलाल पुत्र कजोड धाकड व संजयकुमार पुत्र देवीलाल दर्ज अंकित है जिनके खातेदारी की भूमि होने से उनका ही कब्जा भूमि पर होने का कथन विपक्षीगण द्वारा किया है। यदि खातेदारान को उनकी खाते की भूमि के लिए ही जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो निश्चित ही खातेदार को ही अपूर्तनीय क्षति होती है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर विपक्षीगण देवीलाल व संजयकुमार के पक्ष में सिद्ध होता है।

3- अपूर्तनीय क्षति :-

प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी मौजा श्रीनगर प.ह. टुकराई आराजी संख्या 1801/1117 रकबा 0.1865 हैक्टर भूमि जो कि विपक्षीगण देवीलाल पुत्र कजोड एवं संजयकुमार पुत्र देवीलाल के खातेदारी की भूमि है, यह भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि नहीं होने से किसी खातेदार को उनके खाते की भूमि पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाने पर निश्चित ही खातेदारान को अपूर्तनीय क्षति होती है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध न होकर विपक्षीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संख्या 51/2024 व अनवान श्रीमति लालीबाई वगै बनाम देवीलाल वगै का सिद्ध नहीं होता है तथा विपक्षीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 52/2024 व अनवान देवीलाल वगै बनाम किर्तन कुमार वगै. का सिद्ध होने से स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र संख्या 51/2024 व अनवान श्रीमति लालीबाई पति उंकार धाकड निवासी श्रीनगर व अन्य बनाम देवीलाल पिता कजोड धाकड निवासी श्रीनगर व अन्य प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राज0काश्त0 अधि0 का सिद्ध नहीं होने से खारीज किया जाता है। तथा प्रार्थना पत्र संख्या 52/2024 व अनवान देवीलाल पिता कजोड धाकड निवासी श्रीनगर व अन्य बनाम श्री किर्तन कुमार पिता शांतिलाल धाकड निवासी श्रीनगर प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षीगण को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी मौजा श्रीनगर प.ह. टुकराई आराजी संख्या 1801/1117 रकबा 0.1865 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण के चले आ रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे में किसी तरह की दखलंदाजी नही करें न अपने किसी नौकर एजेन्ट रिश्तेदार आदि से करावें। आदेश प्रतियां दोनो ही प्रार्थना पत्र संख्या 51/2024 व अनवान लालीबाई बनाम देवीलाल व प्रार्थना पत्र संख्या 52/2024 देवीलाल बनाम किर्तनकुमार वगै. में लगाई जावें।

आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक जज
(उपखण्ड अदालत)
28/03/2025